राष्ट्रीय लोक अदालत –2017

लोक अदालत के समक्ष

स्थान जिला मुख्यालय टोंक

याची/वादी/परिवादीः–बजरंगा पुत्र गोरधन जाति कुम्हार निवासी रिण्डल्या बुजुर्ग तहसील मालपुरा जिला टोंक

प्रतिवादी/प्रत्यर्थीः– तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर टोंक की कार्यवाही संख्याः– 29/2017

उपस्थितः–श्री शिवराज टाण्डी, अभि0 अपीलाण्ट /श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभि0 रेस्पो.

अध्यक्ष :–श्री लोकेश कुमार गौतम, अति0 जिला कलेक्टर, टोंक

सदस्य 1–डॉ0 सूरज सिंह नेगी, उपखण्ड अधिकारी, टोंक

2– श्री विजय बहादुरसिंह सोलंकी, अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 11.02.2017

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए है और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित निर्णय पारित किया जाता हैः–

अपीलाण्ट ने अतिक्रमित भूमि पर पक्का निर्माण नहीं होने, कब्जा छोडने व भविष्य मे राजकीय भूमि पर कब्जा नही करने का शपथ पत्र तहसीलदार मालपुरा के समक्ष प्रस्तुत करने की शर्त पर, राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.09.2016 से अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है, शेष निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलाण्ट पुनः राजकीय भूमि पर कब्जा करता है या पूर्व में अतिक्रमण करने बाबत शपथ पत्र पेश किया हुआ है तो अतिक्रमी के विरूद्व सी0आर0पी0सी0 की धारा 182 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

याची/वादी/परिवादी
अभिभाषक

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी
राजकीय पेरोकार

सदस्य
अधिवक्ता

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
टोंक

अध्यक्ष
अति0 जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक
टोंक

Scanned by CamScanner